[2019] 6 एस. सी. आर 653

नंद कुमार मांझी और एक अन्य आदि

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य आदि

(2019 की सिविल अपील संख्या 4020-4022)

अप्रैल 22,2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, न्यायाधीशगण]

बिहार वन सेवा नियम, 1953-आर.आर 3 (एए), 22,24 और 35 -उत्तरदाता सं.-1 राज्य ने 24.07.85 को विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें सहायक वन संरक्षक (ए सी एफ) के 40 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं-अधिसूचना दिनांक 14.12.87 के माध्यम से भरे गए पद।अपीलकर्ताओं ने चयन में भाग लिया लेकिन नियुक्त होने में असफल रहे-कुछ अन्य असफल उम्मीदवारों के साथ अपीलकर्ताओं ने 40 विज्ञापित पदों से परे खाली पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री को अन्य बातों के साथ अभ्यावेदन दिया-आयोग ने एसीएफ के रूप में नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं सहित 12 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की। अधिसुचना दिनांक 13.04.88 जारी किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थियों सहित 11 उम्मीदवारों की नियुक्ति-1987 में 52 वन रेंजरों को भी ए. सी. एफ. के रूप में पदोन्नत किया गया था-1990,1992 और 1995 में सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से आगे की नियुक्तियां की गईं-राज्यपाल ने 03.10.05 पर अनुमोदित अपीलार्थियों की सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव-का अनुमोदन किया । अपीलकर्ताओं की सेवा उनके नियमिती करण की तारीख यानी 03.10.05 से संतुष्ट की गई ।राज्य ने अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की-अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा गया, 1987 के पदोन्नतियों, 1990 के प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नतियों, 1992 के पदोन्नतियों और 1995 के पदोन्नतियों के नीचे-अपीलकर्ताओं द्वारा आपत्ति-

अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाएं दायर कीं-खारिज-एल पी ए भी खारिज-अवधारितः- बिहार वन सेवा नियम, 1953 की आर 35 के अनुसार, बिहार वन सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए-मूल क्षमता में नियुक्ति वह है जो आकस्मिक या तदर्थ नहीं है, और मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुपालन में की जाती है-अपीलकर्ताओं की नियुक्ति 1985 में विज्ञापित रिक्तियों से परे की गई थी-अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया कि विभिन्न अभ्यावेदन और लगातार पैरवी करके पिछले दरवाजे से एसीएफ के रूप में नियुक्ति हासिल की थी-इन अभ्यावेदनों के अनुसार, राज्य ने 1985 के विज्ञापन के संदर्भ में कथित रूप से 13.04.88 पर अपीलकर्ताओं को नियुक्त किया-यह अवैध और आकस्मिक था, क्योंकि 1985 में विज्ञापित पदों को उनकी योग्यता सूची से भरा गया था जो पुरी तरह से समाप्त हो गया। वर्ष 1953 के नियमों के अधीन प्रतीक्षा सुची कायम रखने का कोई प्रावधान नहीं है- अतः अपीलार्थियों की नियुक्ति पूर्णतया अवैध और विधान के प्रतिकुल थी। मानवतावादी दृष्टिकोण से अपीलार्थियों की सेवाओं को नियमिक करने का प्रस्ताव शुरु किया गया, क्योंकि तब तक अपीलार्थी लगभग 17 वर्षो की सेवाएँ दे चुके थे अपीलार्थियों की वरीयता की गणना केवल उनके सेवा में नियमितीकरण की तारीख अर्थातु 03.10.05 के प्रभाव से कटने में उच्च न्यायालय सही है न कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख अर्थात 13.04.88 से, जैसा कि उन्होने दावा किया है- आक्षेपित निर्णय की पुष्टी की जाती है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अवधारित कियाः-

1.1 1953 के बिहार वन सेवा के नियम 35 के अनुसार बिहार वन सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जानी है। मूल क्षमता में नियुक्ति वह होती है जो आकस्मिक या तदर्थ नहीं होती है, और जो मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुपालन में की जाती है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को 12.06.1987 को, वन और पर्यावरण मंत्री को 21.08.1987 को, और सचिव, वन और पर्यावरण विभाग को 06.11.1987 को विभिन्न अभ्यावेदन देकर पिछले दरवाजे के माध्यम से एसीएफ के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। इन अभ्यावेदनों के

अनुसार, राज्य ने 1985 के विज्ञापन के संदर्भ में कथित रूप से 13.04.1988 को अपीलकर्ताओं को नियुक्त किया।यह पूरी तरह से गैरकानूनी और आकस्मिक था, क्योंकि 1985 में जिन पदों का विज्ञापन दिया गया था, उन्हें मेघा सूची से भरना था। [पैरा 8.1,8.2 और 8.3] [666-डी; 668-ए-सी]

1.2 1985 के विज्ञापन में विज्ञापित पदों के खिलाफ अधिसूचना दिनांक 14.12.1987 द्वारा शुरू की गई भर्ती का समापन राज्य द्वारा एसीएफ की नियुक्ति के साथ हुआ। उनकी नियुक्ति के साथ, 1985 के विज्ञापन के अनुसरण में तैयार की गई योग्यता सूची समाप्त हो गई, और आगे इससे कोई नियुक्तियां नही की जा सकती थी। बिहार वन सेवा नियम, 1953 के नियम 22 में एक व्यक्ति द्वारा लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करने का प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि आयोग योग्यता सूची से उतने उम्मीदवारों को नामित करेगा जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए गए हों। राज्यपाल।बिहार वन सेवा नियम, 1953 के तहत प्रतीक्षा सूची बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पूर्ण से गैरकानूनी और वैधानिक नियमों के विरुद्ध थी। अपीलार्थियों की नियुक्तियां 1985 में विज्ञापित रिक्तियों से परे की गई थीं, जो कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत का उल्लंघन था। [पैरा 8.4-8.6] [668-ई-जी; 669-ए-बी]

1.3 अपीलार्थियों द्वारा लगातार पैरवी के परिणामस्वरूप, वे 1985 के विज्ञापन के खिलाफ कथित रूप से 13.04.1988 को ए.सी.एफ के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने में सक्षम थे। अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पूर्ण से गैरकानूनी थी और बिहार वन सेवा नियम, 1953 के उल्लंघन थी। 1985 में विज्ञापित पदों को चयनित उम्मीदवारों द्वारा विधिवत भरा गया था। 1985 के विज्ञापन की सूची पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। [कंडिका 8.7] [670-सी. डी.]

1.4 इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए, अपीलार्थियों की सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव शुरू किया गया था, क्योकि तब तक से अपीलार्थी पहले ही लगभग 17 वर्षों तक सेवा दे चुके थे। प्रस्ताव में, यह उल्लेख किया गया था कि 1988 में एसीएफ के रूप में अपीलार्थियों की नियुक्ति "अनियमित" थी। हालांकि, उस

समय नियुक्तियों को रद्द करने के परिणामस्वरूप आगे मुकदमेबाजी होनी थी, क्योंकि यह आयोग के एक पत्र के आधार पर किया गया था। [पैरा 8.11] [670-जी-एच; 671-ए]

1.5 उपरोक्त पृष्ठभूमि तथ्यों में, उच्च न्यायालय अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं और लेटर्स पेटेंट अपीलों को खारिज करने में पूरी तरह से उचित था। हाईकोर्ट ने सही अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं में वरिष्ठता की गणना उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार 13.04.1988 को उनमें प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नहीं, केवल उनमें सेवा में नियमितीकरण की तारीख 03.10.2005 से ही की जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय की पुष्टि की जाती है। [पैरा 8.14,8.15] [671-ई; 672-ए]

बालेश्वर दास और अन्य बनाम यू. पी. राज्य और अन्य (1980) 4 एससीसी 226:[1981] 1 एससीआर 449; ओ. पी. सिंगला और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1984) 4 एस. सी. सी. 450:[1985] 1 एससीआर 351; राखी रे और अन्य बनामदिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य (2010) 2 एससीसी 637:[2010] 2 एससीआर 239-पर आधारित था।

संजय के.सिन्हा-II और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2004) 10 एससीसी 734:[2004] 2 पूरक एस. सी. आर. 834-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2004] 2 पूरक एस सी आर 834	संदर्भित किया गया है	कंडिका 2.11
[1981] 1 एससीआर 449	उस पर आधारित	कंडिका 8.2
[1985] 1 एससीआर 351	उस पर आधारित	कंडिका 8.2
[2010] 2 एससीआर 239	उस पर आधारित	कंडिका 8.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2019 की सिविल अपील संख्या 4020-4022।

2013 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 491,257 और 509 में पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 10.11.2014 से ।

राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, रुद्रेश्वर सिंह, सुश्री ईशा सिंह, सुश्री स्नेहल सोनय, सिद्धार्थ अय्यर, कौशिक पोद्दार, अधिवक्ता अपीलार्थियों की ओर से।

दिनेश द्विवेदी, नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, चंद्र प्रकाश, चंदन कुमार, यशर्थ कांत, गौरव अग्रवाल, अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठान विज, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, अधिवक्ता सुश्री प्रेरणा सिंह, शांतनु सागर, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति

अनुमति दी गई।

1. वर्तमान सिविल अपील 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11320 और 11322 से उत्पन्न होती है जिसमें कि 2013 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 491, 257 और 509 में पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित दिनांक 10.11.2014 के आदेश को चुनौती दी गई है।

2. वर्तमान सिविल अपील में तथ्यात्मक मैट्रिक्स निम्नानुसार हैः

2.1 प्रतिवादी संख्या 1-बिहार राज्य ने बिहार वन सेवा नियम, 1953 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के 40 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 24.07.1985 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया।

दिसंबर, 1985 में आयोजित इंतिहान और मौखिक इंतिहान के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग (आयोग) ने सफल उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की। आयोग की सिफारिशों पर, राज्य द्वारा दिनांक 14.12.1987 की अधिसूचना

द्वारा एसीएफ के पदों को भरा गया था।विज्ञापित पदों को भरने पर योग्यता सूची समाप्त हो गई।

वर्तमान मामला में अपीलकर्ताओं ने चयन में भाग लिया था, लेकिन नियुक्त होने में असफल रहे थे.

2.2 अपीलकर्ताओं और कुछ अन्य उम्मीदवारों, जो 1985 के चयन में एसीएफ के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने में असफल रहे थे, ने 12.06.1987 को मुख्यमंत्री, 21.08.1987 को वन और पर्यावरण मंत्री और 06.11.1987 को सचिव, वन और पर्यावरण विभाग के समक्ष 40 विज्ञापित पदों से परे खाली पदों के खिलाफ नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन दिए।

2.3 राज्य ने 21.10.1987 को उन सफल उम्मीदवारों की सूची से एसीएफ के मौजूदा खाली पदों को भरने का फ़ैसला लिया, जिन्होंने क्रमश: 1985 और 1986 में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था।

2.4 राज्य सरकार ने 15 फरवरी, 1988 को 1985 के विज्ञापन के विरुद्ध चयन के अनुसार तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार 13 सफल अभ्यथिर्यों के नाम आयोग से मांगे।

आयोग ने दिनांक 20.02.1988 के पत्र द्वारा एसीएफ के रूप में नियुक्ति के लिए 12 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की, जिसमें अपीलकर्ताओं के नाम भी शामिल थे।

राज्य ने दिनांक 13.04.1988 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें आयोग द्वारा एसीएफ के रूप में अग्रेषित सूची में से अपीलकर्ताओं सहित 11 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया।

2.5 दिनांक 10.08.1989 को, एसीएफ के पदों पर 8 और उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई, जो दिनांक 14.12.1987 और 13.04.1988 की

अधिसूचनाओं द्वारा नियुक्त किए गए उम्मीदवारों द्वारा पदग्रहण नहीं करने के कारण खाली हुए थे। इन 8 उम्मीदवारों के नाम 1985 के विज्ञापन द्वारा भी दिखाए गए थे।

2.6 12 जून, 1987 को राज्य सरकार ने सीधी भर्ती द्वारा से 40 और एसीएफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अनुरोध भेजा।

राज्य द्वारा 12.06.1987 को की गई मांग के परिणामस्वरुप, आयोग द्वारा 20.12.1987 को सीधी भर्ती द्वारा एसीएफ के 40 पदों के लिए एक नया विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।आयोग ने सितंबर, 1988 में लिखित परीक्षा ली।

राज्य ने 1987 के विज्ञापन में अधिसूचित रिक्तियों के लिए 30 मार्च, 1990 को 35 सीधी भर्तियों द्वारा 35 एसीएफ को नियुक्त किया।

2.7 राज्य ने प्रतिवादी संख्या 21-32[1] सहित 30 रेंज अधिकारियों को क्रमश: 16/17.08.1990,18.07.1991 और 02.09.1992 की अधिसूचनाओं के माध्यम से दिनांक 30.03.1990 के प्रभाव से एसीएफ के रूप में पदोन्नत किया।

2.8 20 जून, 1987 से 17 अक्टूबर, 1987 तक की अवधि के दौरान राज्य ने बाद में 52 और वन रेंजर्स को एसीएफ के पद पर पदोन्नत किया।

2.9 बिहार वन सेवा नियम, 1953 में 26.12.1989 को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियम 3 (एए) को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था।नियम 3 (एए) के अनुसार, वन रेंज अधिकारी जिन्होंने मानद उपाधि प्राप्त करने के बाद रेंजर कोर्स उत्तीर्ण किया है, उन्हें सहायक वन संरक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र माना जाएगा और उन्हें सीधी भर्ती के रूप में माना जाएगा।

नियम 3 (कक) यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

---

1 विद्वान चैंबर न्यायाधीश द्वारा पारित 6 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या २१, २२, २४ और २८ के नाम पक्षकारों की सूची से हटा दिए गए हैं.

"3. सेवा की नियुक्तियां आमतौर पर निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी.....

... (एए) वन रेंज अफ़सर, जो रेंजर कोर्स पास करता है और ऑनर्स प्राप्त करता है, वह भारत सरकार द्वारा संचालित राज्य वन सेवा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष/2 वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र होगा। उन्हें बिहार वन सेवा संवर्ग (सहायक वन संरक्षक के रूप में) में सीधी भर्ती के रूप में माना जाएगा और नियम 29 में दिए गए प्रावधान इन चयनित रेंज अधिकारियों पर लागू होंगे।

राज्य सरकार ने दिनांक 09.03.1990 के विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से 10 रेंज अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्होंने रेंजर्स कोर्स में मानद उपाधि प्राप्त किया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 8 और 9 एसीएफ के रूप में शामिल थे।

2.10 राज्य ने 24.07.1989 को एक अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की, जिसमें ए० सी० एफ० को 06.10.1987 और 23.11.1987 तारीख को पदोन्नत किए गए जिनकी 14.12.1987 को सीधे भर्ती नियुक्ति से ऊपर रखा गया था।

जहां तक इन अपीलों में अपीलकर्ताओं का संबंध है, उन्हें उनमें नियुक्ति की तारीख से अर्थात् 13.04.1988 से वरिष्ठता प्रदान की गई थी।

2.11 वरिष्ठता सूची को 14.12.1987 को हुई सीधी भर्ती द्वारा 1989 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 8305 के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

1989 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 8305 में दिनांक 31.05.2004 को संजय कुमार सिन्हा-II और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में इस अदालत द्वारा फैसला दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1987 की पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियां अप्रत्याशित थीं क्योंकि वे गैर-विद्यमान पदों के लिए की गई थीं और उससे वरीयता का कोई लाभ पदोन्नति की कथित तारीख से नहीं मिल सका। दिनांक 24.07.1989 को अंतिम वरिष्ठता सूची रद्द कर दी गई और राज्य को एक नई वरियता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया।इस अदालत ने राज्य को 1987 के पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति को नियमित करने की स्वतंत्रताता प्रदान की, जबकि यह अभिनिर्धारित किया कि 14.12.1987 को नियुक्त सीधी भर्ती पर उन्हें वरिष्ठता नहीं दी जा सकती।इस अदालत ने नोट किया कि बिहार वन सेवा में केवल 133 पद थे, न कि 277 जैसा कि 1987 के पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा तर्क दिया गया था।

2.12 झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार वन सेवा के अनेक अधिकारियों का झारखंड संवर्ग में तबादला कर दिया गया था, जिनमें कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्हें अपीलकर्ताओं के साथ 13.04.1988 और 10.08.1989 को नियुक्त किया गया था।

2.13.बिहार राज्य के विभाजन और झारखंड राज्य के निर्माण के बाद, 13.04.1988 और 10.08.1989 को राज्य द्वारा नियुक्त अपीलकर्ताओं और अन्य एसीएफ की नियुक्तियों की वैधता पर बिहार में राष्ट्रपति नियम के दौरान विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई थी, जैसा कि अभिलेख पर रखी गई फ़ाइल नोटिंग से स्पष्ट है।

विधि विभाग की यह राय थी कि ये नियुक्तियाँ अनियमित थीं क्योंकि उनकी नियुक्त कथित रूप से 1985 के विज्ञापन के खिलाफ की गई थी, यद्यपित चयन सूची समाप्त हो गई थी।हालाँकि यह मत व्यक्त किया गया कि उनकी नियुक्ति को रद्द करने का परिणाम मुकदमेबाजी होगा, क्योंकि नियुक्तियां आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थीं।इसके अलावा, नियुक्त किए गए लोगों ने अब तक लगभग 17 वर्षों तक सेवा की थी।यह सुझाव दिया गया कि इस तरह की नियुक्तियों को नियमित किया जा सकता है क्योंकि वे अनियमित थीं, लेकिन गैरकानूनी नहीं थीं।

1987 के पदोन्नतियों की तुलना में उनकी परास्परिक वरिष्ठता के मुद्दा पर भी विचार किया गया और राज्य सरकार से फ़ैसला लेने के लिए कहा गया।इन एसीएफ की नियुक्तियों को नियमित करने का प्रस्ताव 03.10.2005 को राज्यपाल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था।

2.14 बिहार विधानसभा के सचिव को सरकार के अपर सचिव द्वारा संबोधित दिनांक 15.07.2006 के पत्र के अध्ययन यह इंगित करता है कि प्रस्ताव पारित किया गया था और "राज्य सरकार ने जांच के बाद इन नियुक्तियों को नियमित किया और इस प्रकरण को बंद कर दिया।"

अपीलकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा 03.10.2005 से नियमित किया गया।

2.15 09 मार्च, 2010 को राज्य द्वारा छाया पदों का सृजन किया गया क्योंकि 1987 के बाद से... कार्यबल सृजित बल से अधिक था।

राज्य ने दिनांक 04.10.2010 को अधिसूचना जारी करके 03.10.2005 के प्रभाव से अपीलकर्ताओं की सेवा की पुष्टि की।

2.16 31 मार्च, 2010 को एक अंतरिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रत्यक्ष भर्ती वाले व्यक्तियों एवं पदोन्नत व्यक्तियों, जिन्हें 30 मार्च, 1990 के प्रभाव से नियुक्त किया गया था, प्रतिवादी संख्या 10-हेमकांत राय, 1992 के पदोन्नत व्यक्तियों और 1995 के पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे रखा गया था।

2.17 अपीलार्थियों द्वारा वरिष्ठता सूची में उनमें नियुक्ति के के बारे में आपत्तियां उठाया गई थीं।उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिए राज्य द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था।

उच्च स्तरीय जांच समिति ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।

यह नोट किया गया कि वे केवल 03.10.2005 से नियमित किए गए थे, और इसलिए 1987,1990,1992 और 1995 में नियुक्त किए गए व्यक्तियों से ऊपर रखे जाने के अधिकारी नहीं थे।

2.18 अंतिम वरिष्ठता सूची 02.07.2010 को प्रकाशित की गई थी। अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची के निचले पायदान पर क्रम संख्या 321 से 338 पर रखा गया था अर्थात 1987 के पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे, प्रत्यक्ष भर्ती वाले व्यक्तियों से नीचे साथ ही 30.03.1990 से नियुक्त पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे, प्रतिवादी संख्या 10-हेमकांत राय, 1992 और 1995 के पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे रखा गया था।

2.19 अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 02.07.2010 के अनुसार संवर्ग में बीच में वरिष्ठता को चुनौती देने के लिए बिहार वन सेवा संवर्ग में नियुक्त विभिन्न अधिकारियों द्वारा पटना हाईकोर्ट के समक्ष अनेक रिट याचिकाएं दायर की गई थीं।

2.20 इस अदालत के समक्ष अपीलार्थियों ने 1987 के पदोन्नत व्यक्तियों (क्रम संख्या 167 और 209), प्रतिवादी संख्या 10-हेमकांत राय (क्रम संख्या 211) और टी. एन. झा (क्रम संख्या 212), 1987 के प्रत्यक्ष भर्ती वाले व्यक्तियों (क्रम संख्या 215 से 249) और पदोन्नत व्यक्तियों (क्रम संख्या 250 से 289) से नीचे उनके प्लेसमेंट को चुनौती देने के लिए 2010 में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10925,11160 और 11337 दाखिल किया, जिनमें से कुछ वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी हैं।

2.21 रिट याचिकाओं को एक साथ सुना गया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 06.11.2012 को पारित समान निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया गया।

इसमें अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं (2010 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10925,11160 और 11337) ख़ारिज कर दी गईं।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया किः

i) अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची के निचले पायदान पर रखा गया था जो सही था क्योंकि 13 अप्रैल, 1988 को की गयी, प्रारंभिक नियुक्तियां कथित रूप से 1985 के विज्ञापन के लिए तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची से की गई थीं।चूंकि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति 40 विज्ञापित रिक्तियों से परे थी, इसलिए यह पूरी तरह से गैरकानूनी था।

ii) अपीलकर्ताओं ने उन्हें नियुक्त करने के लिए राज्य को राजी किया, जो एक रैंक की अवैधता थी, जिसे केवल एक अनियमितता या नियमों से लघु विचलन नहीं कहा जा सकता है।

iii) मानवीय आधार पर, अपीलकर्ताओं को 03.10.2005 से अर्थात सेवा में उनमें पुष्टि की तारीख से नियमित माना गया था।इस तिथि को संवर्ग में प्रवेश की वैध तारीख के रुप में जाना चाहिए। इस तारीख तक संवर्ग में प्रवेश एक रैंक अवैधता थी।

2.22 अपीलकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 06.11.2012 को पारित आम निर्णय के खिलाफ एक खण्ड पीठ के समक्ष 2013 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 257,491 और 509 को दाखिल किया।

2.23 लेटर्स पेटेंट अपीलों को दिनांक 10.11.2014 के एक आम फैसले द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था, जिसमें यह निर्णय दिया गया था किः

i) अपीलकर्ता अपनी नियुक्ति की तिथि अर्थात् 13.04.1988 से नौकरी में निरंतर बने रहने के सिद्धांत पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते।संवर्ग में उनके नियमितीकरण को तिथि अर्थात 03.10.2005 से उन्हें दी गई वरिष्ठता के मामले में अदालती समीक्षा की शक्तियों के प्रयोग में किसी प्रकार के दखलदाजी की आवश्यकता नहीं है।

ii) अपीलकर्ताओं की नियुक्ति गैरकानूनी थी और सेवा न्यायशास्त्र के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन थी।यह राज्य की उदारता पर आधारित था।

iii) एसीएफ के 40 पदों के लिए 1985 के विज्ञापन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे 14.12.1987 को की गई नियुक्तियों द्वारा पूरा किया गया।

iv) भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण राज्य के लिए 1985 के विज्ञापन के अनुसरण में आगे नियुक्ति का कोई अवसर नहीं था।

v) अपीलकर्ता ऐसे व्यक्ति थे जिनका चयन या अनुशंसा आयोग द्वारा नहीं की गई थी और न ही वे अनुशंसित उम्मीदवारों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

vi) अपीलकर्ताओं की नियुक्ति को गैर संवैधानिक माना जाता है।

vii) राज्य सरकार ने दिनांक 04.10.2010 की अधिसूचना के माध्यम से अपनी सेवा को 03.10.2005 से नियमित कर दिया है।

3. अपीलार्थियों ने पटना हाईकोर्ट की विद्वान खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 10.11.2014 को पारित आम आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने के लिए वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की।

4. श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए और खण्ड पीठ द्वारा पारित दिनांक 10.11.2014 के आक्षेपित निर्णय को रद्द करने का अनुरोध किया।

श्री अभिनव मुखर्जी, विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से और पर्यावरण और वन विभाग, और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के अधिकारी प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

श्री दिनेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, 1990 बैच (प्रतिवादी संख्या 13,15,16,17 और 19) के सीधे बहाल व्यक्तियों की ओर से पेश हुए।

5. हमने दोनों पक्षों के वकील की समर्थ सहायता से अभिलेख का अवलोकन किया है।

वर्तमान सिविल अपीलों में जो मुद्दा हमारे सोच-विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं को दिनांक 2.7.10 के वरीयता सूची में सबसे नीचे रखा गया है, उनको वरीयता उनके सेवा में नियमितीकरण की तारीख 03.10.2005 से देते हुए कि 13.4.88 की तारीख से जब वे बहाल हुये थे।

6. <u>वादियों का निवेदन</u>

6.1 अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख अर्थात् 13.04.1988 से वरीयता दी जानी चाहिए थी। अन्यथा दिनांक 02.07.2010 के अंतिम वरिष्ठता सूची के सबसे नीचले पायदान पर रहने के कारण उन लोगों को 17 वर्ष की सेवा से हाथ धोना पड़ता।

6.2 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं को दिनांक 20.02.1988 के पत्र द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर एसीएफ के रूप में नियुक्त किया गया था.यह अनुशंसा राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने के बाद दिनांक 15.02.1988 के पत्र द्वारा भेजी गई थी।

6.3 सभी गैर-सरकारी प्रतिवादियों को 1989 में बहाल अपीलकर्ताओं के बाद नियुक्त किया गया था और फिर उसके बाद।

6.4 राज्य द्वारा 24.07.1989 को प्रकाशित अंतिम वरिष्ठता सूची को कभी भी प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई, जहां तक यह अपीलार्थियों की वरियता से संबंधित था।

6.5 प्रतिवादियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से उन्हें वरिष्ठता देने का राज्य का कार्य, जबकि अपीलार्थियों को इससे इनकार करना पूर्ण रुप से मनमाना और अनुचित था।

6.6 अपीलकर्ताओं और निजी प्रतिवादियों दोनों को संवर्ग की संख्या से ज्यादा संख्या में नियुक्त किया गया और उनकी नियुक्तियों को दिनांक 09.03.2010 की

अधिसूचना के अनुसार प्रतिकातमत पदों के सृजन के बाद को नियमित किया गया।

7. <u>प्रतिवादीयों का निवेदन</u>

7.1 प्रतिवादीयों के अधिवक्ता ने दिनांक १०. ११. २०१४ को पारित सामान्य कि आक्षेपित निर्णय का बचाव किया और कहा गया कि अपीलार्थियों को उनके नियमितीकरण की तारीख ०३. १०. २००५ से ही वरिष्ठता प्रदान की गई है, जो सही है ।

i) यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति बिहार वन सेवा नियम, 1953 के अनुसार नहीं थी क्योंकि वे 1985 के विज्ञापन द्वारा अधिसूचित 40 रिक्तियों से परे किए गए थे।1985 के विज्ञापन के अनुसरण में तैयार की गई चयन सूची 14.12.1987 को 39 उम्मीदवारों की नियुक्ति के साथ समाप्त हो गई।अपीलकर्ताओं की नियुक्तियां बिहार वन सेवा नियम, 1953 के अनुसार नहीं थीं।

ii) बिहार वन सेवा नियम, 1953 के नियम 35 में अधिदेश दिया गया है कि मूल नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की गणना की जाएगी। अपीलकर्ताओं को 13.04.1988 को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को एसीएफ के मूल पदों के लिए नियुक्त नहीं किया गया था।

iii) लंबे समय तक सेवा में रहना से अपीलकर्ता अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने के लिए हकदार नहीं होंगे, उनके दावे पर तभी विचार किया जा सकता है जब उन्हें 03.10.2005 से नियमित कर दिया गया हो।

iv) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 24.07.1987 को प्रकाशित अंतिम वरिष्ठता सूची को, जिसमें अपीलार्थियों को उनकी बहाली की तारीख अर्थात् दिनांक 13.04.1988 से वरिष्ठता प्रदान की गई थी, संजय कुमार

सिन्हा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में दिनांक 31.05.2004 को पारित आदेश एवं निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

7.2 राज्य के अधिवक्ता और सरकारी प्रतिवादीयों ने सामूहिक आक्षेपित आदेश एवं निर्णय जो 10.11.2014 को पारित किया गया था, उसका समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अपने नियमितीकरण की तिथि अर्थात् 03.10.2005 से ही वरिष्ठता के अधिकारी होंगे।

i) यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति 1985 के विज्ञापन की चयन सूची समाप्त हो जाने के बाद राज्य द्वारा की गई मांग पर आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसा पर 13.04.1988 को की गई थी।

ii) दिनांक 09.03.2010 की अधिसूचना द्वारा नियुक्तियों के लिए छाया पदों का सृजन किया गया था, जो गैर-विद्यमान रिक्तियों के लिए किए गए थे।

iii) अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों को राज्यपाल द्वारा इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद 03.10.2005 को नियमित कर दिया गया।

iv) यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय जांच समिति की राय प्राप्त करने के बाद दिनाक 02 जुलाई, 2010 को पारित अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता तय की गई थी।

8. <u>चर्चा का विश्लेषण</u>

8.1 बिहार वन सेवा नियम, 1953 के नियम 35 के अनुसार, बिहार वन सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता को उनकी मूल नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में निश्चित किया जाए।

तत्काल संदर्भ के लिए नियम 35 यहां नीचे उद्धृत किया गया हैः

"35. सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण सेवा में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा।

(i) एक साथ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों के मामला में, उनमें वरिष्ठता योग्यता के अनुसार होगी जिसमें उनके नाम भारतीय वन महाविद्यालय, देहरादून में अंतिम इंतिहान में सफल उम्मीदवारों की सूची में रखे गए हैं।

(ii) उन मामलों में जहां एक ही समय में चयनित रेंजर्स में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा सेवा में नियुक्तियां का मामला हैं, सेवा के प्रोन्नत सदस्य सीधे भर्ती किए गए सदस्यों से वरिष्ठ होंगे और

(iii) पदोन्नति द्वारा सेवा में मूल नियुक्ति पर रेंजर्स की वरिष्ठता का अंतर रेंजर्स के रूप में वरिष्ठता होगी।"

(जोर दिया गया)

नियम 35 इस अदालत के समक्ष वरिष्ठता से संबंधित मुकदमे के पिछले दौर में कीमत के एवज में आया था। 1987 में संजय के. सिन्हा और अन्य भारत संघ और अन्य के मामले में पदोन्नति बिहार और अन्य ..... इस अदालत ने यह अभिनिर्धारित किः

"12. इस संबंध में हमें यह ध्यान देना होगा कि बिहार वन सेवा नियमों में नियम 35 में यह प्रावधान है कि सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। सेवा का सदस्य बनने में लिए संबंधित व्यक्ति को निम्नलिखित दो शर्त्तों को कम से कम पूरा करना होगा - पहली, नियुक्ति मूल रुप में होनी चाहिए, और दूसरी, नियुक्ति नौकरी में पद पर नियमों के अनुसार और मूल रिक्ति के कोटा के भीतर होनी चाहिए (केशव चंद्र जोशी बनाम भारत संघ [1992 अनुपूरक (1) एससीसी 272:1993 एससीसी (एल एंड एस) 694:(1993) 24 एटीसी 545)।

13. वर्तमान मामला में दोनों शर्तों में से कोई भी पूरा नहीं किया गया है। जिन पदों पर मूल नियुक्तियां की जानी थीं, वे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए, सेवा में कोई नियुक्ति नहीं हो सकती थी। जब सेवा में कोई नियुक्ति नहीं होती है, तो सेवा में मूल नियुक्ति तो दूर की बात है, पदोन्नत किए गए लोगों को उनकी पदोन्नति की कथित तिथि से वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है।

17. यह स्थापित विधि है कि सुलझा हुआ कानून के विपरीत की गई नियुक्तियां केवल आकस्मिक होती हैं और सेवा में नियमित/मूल नियुक्तियों और तो और नियुक्त किए गए व्यक्तियों को वरिष्ठता का फ़ायदा प्रदान नहीं करती हैं। (देखिए सी. के. एंटनी बनाम बी. मुरलीधरन [(1998) 6 एस. सी. सी. 630:1998 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1624), एम. एस. एल.वन रखनेवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1996) 11 एससीसी 361:1997 एससीसी (एल एंड एस) 241] और महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय ठाकरे [1995 सप्लीमेंट (2) एससीसी 407:1995 एससीसी (एल एंड एस) 867:(1995) 30 एटी 132)।"

(जोर दिया गया)

8.2 मूल क्षमता में एक नियुक्ति वह होती है जो मूल या तदर्थ नहीं होती है और मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुपालन में की जाती है।

8.3 अपीलकर्ताओं ने 12.06.1987 को मुख्यमंत्री 21.08.87 को वन एवं पर्यावरण मंत्री को 06.11.87 को सचिव, वन और पर्यावरण विभाग को विभिन्न अभ्यावेदन देकर पिछले दरवाजा से ए सी एफ के रुप में निश्चित रुप से नियुक्ति प्राप्त की थी।

इन अभ्यावेदनों के अनुसरण में, राज्य ने 1985 के विज्ञापन के संदर्भ में 13.04.1988 को अपीलकर्ताओं की नियुक्ति की।यह पूरी तरह से गैरकानूनी

और आकस्मिक था, क्योंकि 1985 में जिन पदों का विज्ञापन दिया गया था, उन्हें मेरिट सूची से भरना था।

8.4 नियम 24 का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

> "24. आवेदन पत्र में आमंत्रित सिफारिशों के अलावा किसी भी सिफारिश पर सोच-विचार नहीं इच्छा जाएगा। उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन के लिए अन्य तरीकों से समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई भी कोशिश करना उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराएगा।"

1985 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई भर्ती की परिणति राज्य द्वारा एसीएफ की नियुक्ति के साथ हुई, जिसके लिए दिनांक 14.12.1987 की अधिसूचना जारी की गई।उनमें नियुक्ति के बाद, 1985 के विज्ञापन के अनुसरण में तैयार में गई योग्यता सूची समाप्त हो गई और इससे आगे कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी।

8.5 बिहार वन सेवा नियम, 1953 के नियम 22 में लिखित परीक्षा के साथ ही मौखिक परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि आयोग योग्यता सूची से इतनी संख्या में उम्मीदवारों को चूने गए जितनी संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया हो।

बिहार वन सेवा नियम, 1953 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसलिए, अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पूर्ण से गैरकानूनी और वैधानिक नियमों के विरुद्ध थी।

8.6 इसमें उपरोक्त पृष्ठभूमि के तथ्यों में यह पर्याप्त रूप से साफ़ है कि अपीलकर्ताओं की नियुक्तियां 1985 में विज्ञापित रिक्तियों से परे की गई थीं, जो

निम्नलिखित में प्रतिपादित कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत के विरुद्ध था जिसकी चर्चा राखी रे और अन्य बनाम दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य वाले मामले में की गई है। राखी रे और अन्य बनाम दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य वाले मामले में इस अदालत के फ़ैसला से उचित संबंधित निकाली गई बातों को यहाँ नीचे दोहराया गया है, तैयार संदर्भ के लिए।

> "7. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि रिक्तियों को विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं भरा जा सकता क्योंकि "अधिसूचित रिक्तियों से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती संवैधानिक लेख 16 (1) के साथ पठित उन व्यक्तियों के संवैधानिक हक की हानि है जिन्हों इसके अंतर्गत रिक्तियों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात् सांकानूनी नियमों के अनुसार प्रश्नगत पर के लिए पात्रता अर्जित की है। अधिसूचित रिक्तियों पर रिक्तियों को भरना न तो अनुमेय है अन्यथा न ही वांछनीय, क्योंकि यह शक्ति का अनुचित प्रयोग है अन्यथा केवल एक दुर्लभ अन्यथा असाधारण परिस्थिति में अन्यथा आकस्मिक स्थिति में, इस तरह के नियम से विचलित किया जा सकता है अन्यथा ऐसा विचलन कुछ औचित्य के आधार पर नीति फ़ैसला अपनाने के बाद ही अनुमेय है, अन्यथा प्रचलन मनमाना होगा।अधिसूचित रिक्तियों पर रिक्तियों को भरना भविष्य में रिक्तियों को भरने के समान है और इस प्रकार कानून में इसकी अनुमति नहीं है। (देखें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईश्वर सिंह खत्री [1992 सप्लीमेंट (3)] एससीसी 84:1992 एससीसी (एल एंड एस) 999:(1992) 21 एटीसी 851), गुजरात स्टेट डेप्युटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य [1994] अनुपूरक (2) एससीसी 591:1994 एससीसी (एल एंड एस) 1159:(1994) 28 एटी [78], बिहार राज्य बनाम सचिवालय सहायक सफल परीक्षार्थी संघ 1986 [(1994) 1 एससीसी 126:1994 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 274:(1994) 26 एटी 500:ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 736), प्रेम सिंह

बनाम हरियाणा एसईबी [(1996) 4 एस. सी. सी. 319:1996 एससीसी (एल एंड एस) 934] और अशोक कुमार बनाम बैंकिंग सेवा भर्ती तख़्ता [(1996) 1 एससीसी 283:1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 298:(1996) 32 एटी 235:एयर 1996 एस सी 976)।"

(जोर दिया गया)

8.7 अपीलकर्ताओं द्वारा लगातार लॉबिंग के परिणामस्वरूप, वे कथित रूप से 1985 के विज्ञापन के खिलाफ 13.04.1988 को एसीएफ के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने में समर्थ थे।अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पूर्ण से गैरकानूनी थी और बिहार वन सेवा नियम, 1953 के उल्लंघन थी। 1985 में विज्ञापित पदों को चयनित व्यक्तियों द्वारा विधिवत भरा गया था।1985 के विज्ञापन की सूची पूरी तरह समाप्त हो गई।

8.8 1987 में एक विज्ञापन के बाद सीधी भर्ती द्वारा एसीएफ का नया चयन शुरू किया गया था।

8.9 1987 के विज्ञापन के अनुसरण में जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, तब राज्य ने आयोग से 1985 के विज्ञापन के विरुद्ध सूची में से 13 नामों को आगे भेजने का अनुरोध किया, जो समाप्त हो गए थे।आयोग ने अपीलकर्ताओं और कुछ अन्य के नाम कथित रूप से 1985 के विज्ञापन के अनुसरण में तैयार की गई सूची में से अग्रेषित किए थे, जिसके लिए दिनांक 20.02.1988 का पत्र देखें।यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से गैरकानूनी थी, क्योंकि 1985 की सूची समाप्त हो चुकी थी।

8.10 1987 में 52 फॉरेस्ट रेंजर्स को एसीएफ में रूप में पदोन्नत किया गया।

आगे 1990,1992 आगे 1995 में सीधी भर्ती द्वारा आगे पदोन्नति नियुक्तियां की गईं।

8.11 मामले के मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं की सेवा को नियमित करने का एक प्रस्ताव शुरू किया गया था, क्योंकि तब तक अपीलकर्ता लगभग 17 साल तक सेवा कर चुके थे. इसके प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि 1988 में एसीएफ के रूप में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति अनियमित थी।हालाँकि इस समय नियुक्तियों को रद्द करने के परिणामस्वरूप आगे मुकदमेबाजी होगी, क्योंकि यह आयोग के एक पत्र के आधार पर की गई थी।इस प्रस्ताव को राज्यपाल द्वारा 03.10.2005 को मंजूरी दी गई थी।

राज्य ने अपीलकर्ताओं को उनके नियमितीकरण की तारीख अर्थात 03.10.2005 से प्रभावी अधिसूचना दिनांक 04.10.2010 के माध्यम से पुष्टि प्रदान की।

8.12 राज्य ने 02 जुलाई, 2010 को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की। अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची के निचले पायदान पर क्रम संख्या 321 से 338 पर रखा गया था, यानी 1987 के पदोन्नतियों, प्रत्यक्ष भर्ती के साथ ही 1990 के पदोन्नतियों, प्रतिवादी संख्या 10-हेमकांत राय, 1992 के पदोन्नतियों और 1995 के पदोन्नतियों को एसीएफ के रूप में नियमित नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया गया।

8.13 अपीलकर्ताओं ने वरिष्ठता सूची में अपनी स्थिति पर आपत्ति उठाया और 13 अप्रैल, 1988 को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से लेकर और 3 अक्टूबर, 2005 से उनके नियमितीकरण तक निरंतर कार्य करने का दावा किया।

8.14 पूर्वोक्त पृष्ठभूमि के तथ्यों में पटना हाईकोर्ट अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं और लेटर्स पेटेंट अपीलों को खारिज करने में पूरी तरह से न्याय हित था.हाईकोर्ट ने सही अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं में वरिष्ठता में गणना उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार 13.04.1988 को उनमें प्रारंभिक नियुक्ति में तारीख से नहीं, केवल उनमें सेवा में नियमितीकरण की तारीख से ही की जा सकती है।अपीलकर्ताओं ने 1988 में पिछले दरवाजे द्वारा से एक गैरकानूनी

नियुक्ति प्राप्त की थी, जो पूर्ण रुप से गैरकानूनी थी और सांविधिक नियमों से मुक्त थी।उनकी सेवा को केवल 03.10.2005 को नियमित किया गया।बिहार वन सेवा नियम, 1953 के नियम 35 के अनुसार अधिकारियों की वरिष्ठता सेवा में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।इस तरह, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा पूर्ण रुप से अस्थिर, असमर्थनीय, गलत और वैधानिक नियमों के विरोध था।

8.15 पूर्वोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान सिविल अपीलों को लागत के बारे में बिना किसी आदेश के ख़ारिज कर दिया जाता है. पटना हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 10.11.2014 को पारित कि आक्षेपित निर्णय और आदेश को जो इसके द्वारा 2013 के एल. पी. ए. संख्या 491, 2013 के 257 और 2013 के 509 में पारित की गयी है, उस आदेश और निर्णय को पुष्ट किया जाता है।

लंबित आईए, यदि कोई हो, का निपटान वर्तमान निर्णय द्वारा किया जाता है।

तदनुसार आदेश दिया गया।

(उदय उमेश ललित), न्यायमूर्ति

(इंदु मल्होत्रा), न्यायमूर्ति

नया दिल्ली

22 अप्रैल, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।